न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१३ पुनराविलोकन (रिव्यू) रिव्यू 1574-I/13

हरिश्चन्द्र पुत्र नारायणदास कुर्मी,
(दत्तक पुत्र श्री बुसिया कुर्मी निवासी ग्राम बेदा,
तहसील भाण्डेर, जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थी

बिरुध्द

बेनीबाई पत्नी स्वर्गीय श्री बुसिया कुर्मी,
निवासी ग्राम बेंदा तहसील भाण्डेर,
जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थी

पुनराविलोकन बिरुध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (माननीय श्री मनोज गोयल, सदस्य, राजस्व मण्डल-म०प्र०) दिनांक ३१-१-१३ अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्र०क्र० १९५४ एक/०८ निगरानी ।

श्रीमान् जी,

पुनराविलोकन का आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा अभिलेख के विपरीत होकर प्रत्यक्ष भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, इस माननीय न्यायालय ने विवादित आदेश के पद-५ में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाण्डेर के आपराधिक प्र०क्र० ५/०३ में पारित आदेश दिनांक २२-७-०८ को विवादित आदेश का आधार बनाया है, तथा इसी आदेश दिनांक २२-७-०८ को अपर आयुक्त महोदय ने भी विधि सम्मत माना है और इस माननीय न्यायालय ने अपर आयुक्त महोदय के आदेश की पुष्टि की है जबकि उक्त आदेश दिनांक २२-७-०८ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) महोदय, दतिया के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(40)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1574–एक/2013 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनाकं	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14/1/15	उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण क्रमांक 1654–एक/08 आदेश दिनांक 31.01.2013 पारित द्वारा प्रशा0सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल ने विवादित आदेश के पद–5 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाण्डेर के आपराधिक प्र0क्र0 5/03 में पारित आदेश दिनांक 22.07.08 को विवादित आदेश आधार बनाया है, तथा इसी आदेश दिनांक 22.07.08 को अपर आयुक्त ने भी विधि सम्मत माना है और राजस्व न्यायालय ने अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि की है, जबकि उक्त आदेश दिनांक 22.07.08 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) दतिया के दण्डिक अपील क्र0 61/08 में पारित आदेश दिनांक 22.09.09 द्वारा निरस्त किया जा चुका है । आदेश दिनांक 22.09.09 की प्रति इस न्यायालय के अभिलेख के निगरानी प्रकरण में उपलब्ध है, तथा आदेश पत्रिका दिनांक 23.02.2011 में भी इस तथ्या का उल्लेख है । विवादित आदेश पारित करते समय आदेश पत्रिका	

दिनांक 23.02.2011 एवं दिनांक 22.09.2000 दृष्टि ओझल हुआ है । निगरानी मेंमो में जो आपत्ति की गई है उन पर समुचित विचार नहीं किया गया है । वसीयत के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा की गई आपत्ति का उल्लेख विवादित आदेश के पद–3 में किया गया है किन्तु सहवन इस आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है । यह ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है । अतः आवेदक के अधिवक्ता द्वारा राजस्व न्यायालय की विवादित आदेश निरस्त करते हुये पुनराविलोकन स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

3/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह बताया गया है कि मृतक बुसिया के द्वारा दिनांक 16.04.93 को भी एक वसीयत निष्पादित किया गया था । आवेदक तथा उसके पिता द्वारा बुसिया की अन्य सम्पत्ति हड़पने का प्रयास किये जाने पर बुसिया ने दिनांक 23.06.93 को वसीयत दिनांक 16.04.93 को निरस्त कराया था, इसके पश्चात बुसिया ने किसी भी प्रकार की वसीयत नहीं की । प्रस्तुत वसीयत दिनांक 23.03.01 कूटरचित व फर्जी है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वसीयतनामें को उचित ठहराने में त्रुटि की है । वसीयत निरस्तीकरण विलेख दिनांक 23.06.93 पढ़ने से ही स्पष्ट है कि वसीयत दिनांक 23.03.01 में पूर्व की घटना का उल्लेख न होने से वसीयत संदिग्ध थी । तहसील न्यायालय में मूल वसीयत नहीं देखी । उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाण्डेर के

आपराधिक प्रकरण में 5/03 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2008 की ओर ध्यान आकर्षित कराया । इस संबंध में आवेदक के अधिवक्ता का तर्क था कि वसीयत साक्षियों के कथनों से प्रमाणित थी । अधीनस्थ न्यायालयों ने वसीयत दिनांक 23.03.2001 को फर्जी अथवा अवैध होना नहीं पाया गया था इसलिये किया गया नामांतरण उचित है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया आवेदक की यह आपत्ति कि सिविल न्यायालय का आदेश दिनांक 22.07.2008 अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/08 आदेश दिनांक 22.09.09 द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा अपीलीय न्यायालय का उपरोक्त आदेश अभिलेख पर उपलब्ध है । स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2013 पारित करते समय इस पर विचार नहीं किया गया है, जो कि एक त्रुटि है तथा त्रुटिपूर्ण आधार पर पारित आदेश को स्थिर रखना योग्य न होने से इस न्यायालय का आदेश दिनांक 31.01.2013 को पुनर्विलोकन में लेकर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए नियत किया जाता है । यह प्रकरण समाप्त हो । आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न कर सुनवाई हेतु नियत किया जावे ।

प्रशासकीय सदस्य